अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को ऋण देने के लिये योजना बनाना

842. **श्री उपसेन** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना बनाई है ;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें इस योजना के अन्तर्गत किस ब्याज दर पर ऋण दिए जायेंगे ; और

(ग) इस योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े हुए वर्ग भी शामिल हैं, 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते विभेदी ब्याज दर योजना बनायी है ।

(ख) विभेदी ब्याज दर योजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा 24 मई, 1977 को जारी किये गये संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग इस योजना से अधिकतम लाभ उठायें तथा अग्रिमों का अधिकांश शहरी, महानगरीय क्षेत्रों द्वारा न हथिया लिया जाये, इस योजना को चलाने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योजना के अधीन दिए जाने वाले उनके अग्रिमों का कम से कम दो तिहाई भाग उनकी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाय ।

यह भी तय किया गया है कि योजना के अधीन दिए गए अग्रिमों का कम से कम एक तिहाई भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र कर्जदारों को दिया जाना चाहिये ।

यह निश्चित करने की दृष्टि से कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सहायता लेते हैं वे इस योजना से लाभान्वित हों, प्रायोजक बैंकों को ऐजेंसी के आधार पर क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण देने की अनुमति दे दी गयी है ।

विभेदी ब्याज दर योजना के संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. **कार्यक्षेत्र और व्याप्ति**

1.1 यह सारे देश में लागू होगी ।

1.2 **लक्ष्य** : बैंकों को चाहिए कि पिछले वर्ष के अंत के कुल ऋणों के कम से कम 1 प्रतिशत का 1.2 इस योजना के अंतर्गत दें ।

1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को प्राप्त हो और अधिकांश अग्रिम शहरी महानगरीय क्षेत्रों में ही न दिये जाएं, इस योजना के चलाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का कम से कम 2/3 भाग उनके ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से दिये जायें । तदनुरूप इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का 1/3 से अधिक भाग उनकी शहरी और महानगरीय शाखाओं से नहीं दिया जाना चाहिये ।

1.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभों का उचित हिस्सा पायें, इस योजना के अंतर्गत बैंक ऋणों का कम से कम 1 3 भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र ऋण कर्ताओं को दिया जाना चाहिये ।

2. परिचालन अभिकरण

2.1 सरकारी क्षेत्र के बैंक : विभेदी ब्याज दर योजना का संचालन सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक करेंग ।

2.2 गैर राष्ट्रीय कृत बैंक : जिन गैर राष्ट्रीय कृत बैंकों के पास लीड-जिम्मेदारी है वे कम से कम अपने लीड जिलों में यह योजना चलाएंगे । अन्य गैर राष्ट्रीय कृत बैंक भी स्वेच्छा के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन कर सकते है ।

2.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना के अंतर्गत, ऋणकर्ताओं को ऋण उसी दर पर उपलब्ध कराया जायगा जिस पर सहकारी समितियों से दिया जाता है। इसलिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की इन बैंकों को अनमति नहीं होती । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन बैंकों का लाभ पाने वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पा सकें, प्रायोजक बैंक, अभिकरण एजेंसी के आधार पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मार्फत उधार दे सकते हैं । इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षत्रों के पात्र ऋणकर्ता वार्षिक 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

2.4 पात्रता का मापदण्ड : पैराग्राफ 4 में दिये गये वर्गों वाले व्यक्ति के पास यदि कोई ठोस जमानत देने के लिए नहीं है अथवा वह किसी सम्पन्न व्यक्ति की जमानत गारण्टी प्रस्तुत नहीं कर सकता तो भी वह इस योजना का लाभ पाने का पात्र होगा । बशर्ते वह निम्नलिखित मापदण्ड पूरा करता हो —

3.1 सभी साधनों से ऋणकर्ता के परिवार की आय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वार्षिक 3000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक 2000 रुपए से अधिक न हो ।

3.2 उसके पास कोई भूमि न हो अथवा उसकी भूमि की जोत सिंचित होने पर एक एकड़ से और असिंचित होने पर 2.5 एकड़ से अधिक न हो ।

3.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पास भूमि की जोत कितनी भी होने पर वे ऋण के पात्र होंगे बशर्ते कि वह अन्य मापदण्ड पूरे करते हों ।

3.4 वह बैंकों की सहायता से ऐसे उत्पादक प्रयासों द्वारा अपने वर्तमान आर्थिक स्तर से ऊपर उठने में मदद पा सकता है जो लगभग 3 वर्ष की अवधि में अर्थ-क्षम हो सकेंगे ।

3.5 वह एक साथ दो वित्तीय स्रोतों के प्रति देनदारी नहीं स्वीकार करता ।

3.6 अधिकांशतः वह स्वयं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों अथवा अपने कुछ संयुक्त साझीदारों की सहायता से काम करता है और नियमित रूप से वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त नहीं करता ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

यहां यह आशय नहीं है कि इस योजना के अन्तर्गत अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए ऋणकर्ता से लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाये । यह आशा की जाती है कि शाखा स्तर के बैंक अधिकारी ऋणकर्ता की आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों से परिचित होंगे । वे प्रत्येक मामले में ऋण मंजूर करने से पहले इस पैराग्राफ में दी गई शर्तों को ध्यान में रखकर यथावश्यक स्थानीय पूछताछ कर सकते है ।

4. पात्र व्यक्तियों के वर्ग : जो व्यक्ति आय और भूमि की जोत के मापदण्ड पूरे करते हों और मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हों व इस योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे । (सूची केवल उदाहरण के रूप में है और वह व्यापक नहीं है ।

4.1 कृषि और अथवा कृषि सम्बन्धी कार्यकलापों में लगी अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जातियां और अन्य व्यक्ति ।

4.2 वन उत्पादों को स्वयं इकट्ठा करने अथवा उनका आरम्भिक विधायन करने वाले व्यक्ति और दुर्गम क्षेत्रों में स्वयं द्वारा इकट्ठा करके किसानों और व्यापारियों को बेंचने वाले व्यक्ति ।

4.3 कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और व्यवसायों में सीमित पैमाने पर स्वयं काम करने वाले व्यक्ति उदाहरण स्वरूप ये काम : कपड़ा काटना और वस्त्रोंकी सिलाई, काफी सस्ते खाद्य पदार्थ बनाना, वस्तुओं और नित्य उपयोग की वस्तुओं को घर घर पहुंचाने की सेवा, सड़क के किनारे चाय की दुकान करना, स्वयं अपना हाथ ठेला और साइकिल रिक्शा चलाना, जूते चप्पल की मुख्यत: हाथ से मरम्मत करना, हाथ से टोकरी बनाना आदि ।

4.4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होनहार निर्धन विद्यार्थी जिन्हे सरकार से अथवा शिक्षा अधिकारियों से वजीफा निर्वाह अनुदान नहीं मिलता ।

4.5. लाभप्रद व्यवसाय करने वाले विकलांग व्यक्ति ।

5. ऋण के निबन्धन और शर्तें : इस योजना के अधीन ऋण की शर्तें और निबन्धन निम्नलिखित होंगे :

5.1. ऋण की मात्रा उस योजना विशेष पर निर्भर होगी जिसमें धन लगाया जाये और वह इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि ऋणकर्ता अन्य श्रोतों से धन लिए बिना अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी कर सके । आशा है कि सामान्य रूप से इस योजना के अंतर्गत कार्य चालन पूंजी ऋण के लिए 1,500 रुपये और सावधिक ऋण के लिए 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी । असाधारण मामलों में विशेष रूप से संस्थाओं के मामले में और होनहार निर्धन विद्यार्थियों के मामले में अधिक रकम पर विचार किया जा सकता है ।

5.2 कार्यचालन पूंजी और सावधिक ऋण दोनों ऋणकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार देय होंगे ।

5.3 मार्जिन धन की अपेक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऋणकर्ताओं का यह वर्ग समाज के सबसे कमजोर स्तर का है और मार्जिन धन सदैव प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हो सकता ।

5.4 ब्याज की दर एक समान वार्षिक 4 प्रतिशत नियत की जायगी ।

5.5 स्थिर परि सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए सावधिक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । जिसमें मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष से अनधिक छूट की अवधि शामिल होगी । ऋणकर्ता के कार्यकलाप के प्रकार और योजना की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले में अदायगी का कार्यक्रम तैयार किया जायगा । ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए अधिशेष राशि का निर्धारण करने में स्वयं ऋणकर्ता की निर्वाह आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त छूट दी जायगी ।

5.6 ऋण से खरीदी गई सम्पत्ति को बैंक के पास बन्धक रखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, एक प्रकार के ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण के उचित मामलों में सामूहिक गारण्टी स्वीकार की जा सकती है ।

5.7 प्रत्येक ऋण को ऋण गारण्टी योजना के अंतर्गत कवर किया जायेगा । गारण्टी फीस ऋणकर्ता से नहीं ली जायेगी बल्कि बैंकों द्वारा वहन की जायगी ।

5.8 यदि बैंकों को प्रभारित की गई सम्पत्ति का बीमा आवश्यक समझा जाय तो उसका व्यय बैंक द्वारा वहन किया जायगा।

5.9 यदि आवश्यक हुआ तो बैंक अदायगी के लिए आरम्भ में कुछ उचित स्थगन पर विचार कर सकता है ।

6. **संस्थाएं** : निम्नलिखित संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिये पात्र होंगी ।

6.1 अनाथालय और महिला आश्रम जहां बिक्री के लिए सामान बनाया जाता है और विश्वसनीय वित्तीय साधन अर्थात् धर्मार्थ निधि अथवा नियमित दान की व्यवस्था नहीं है ।

6.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाएं जहां लाभप्रद व्यवसाय चलाया जाता है और टिकाऊ उपकरण और अथवा कच्चे माल की लगातार सप्लाई उपयोगी है ।

टिप्पणी : विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं, अनाथालयों और महिला आश्रमों को आय के मापदण्ड से छूट दी जायगी । फिर भी, यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संस्थाएं धन का उपयोग केवल उत्पादक प्रयोजनों के लिए करें, न कि उससे अपना सामान्य प्रशासनिक और संगठन का खर्च पूरा करें। इन संस्थाओं की वास्तविकता के बारे में भी स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से जांच करना आवश्यक है ।

7. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य निगम** : बैंक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने राज्य निगमों के माध्यम से ऋण दे सकते हैं बशर्ते कि निगम से लाभ पाने वाले, पैरा 3 में दिये गये पात्रता के मापदण्ड और इस योजना में दी गई शर्तें और निबन्धन पूरा करते हों ।

7.1 स्वयं निगमों को आय के माप [illegible] होगी ।

7.2 निगमों द्वारा बनाई गई केवल विशिष्ट और वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम योजनाओं के लिए उन्हें धन उपलब्ध कराया जायगा। निगम आगे कोई सेवा-प्रभार (सर्विस चार्जेज) नहीं जोड़गे और लाभ पाने वालों को वार्षिक 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायगा ।

7.3 लाभ पाने वालों से वसूली की स्थिति कुछ भी क्यों न हो, निगम, ऋण की वापसी निर्धारित तारीख को करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

7.4 यह सुनिश्चित करने की निगमों की जिम्मेदारी होगी कि जिन उत्पादक प्रयोजनों के लिए धन मंजूर किया गया है केवल उन्हीं के लिए उसका उपयोग किया जाये न कि अपना सामान्य संचालन व्यय पूरा करने के लिए उसका उपयोग हो । इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किये गये प्रशासनिक और अन्य व्यय की लागत निगमों/राज्य सरकारों द्वारा वहन की जायगी ।

7.5 क्योंकि राज्य निगमों को दिये गये अग्रिम भारतीय ऋण गारण्टी निगम लिमिटेड की गारण्टी के लिए पात्र नहीं होंगे इस लिए राज्य सरकारों को, उधार देने वाले बैंकों को गारंटी देने की व्यवस्था करनी होगी ।

7.6 यदि निगम ऋण की किस्त अदा नहीं कर पाता अथवा इस योजना में दी गई किसी शर्त और निबन्धन का उल्लंघन करता है तो उसे और वित्त पाने का अपना अधिकार खोना पड़ सकता है ।